रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221675 CG-DL-E-11092020-221675

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] No. 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

सं.एन-12/13/1/2019-यो.एवं वि. .—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो कि भारत का राजपत्र के भाग-III खंड-4 में दिनांक 04.02.2019 को अधिसूचित की गई थी, को दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 तक निम्नलिखित पात्रता शर्तों में राहत के साथ दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक एतद्वारा विस्तारित करने को अधिसूचित करता है :-

- 1. बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी के ठीक पूर्व के दो वर्षों की न्यूनतम अविध के लिए बीमायोग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पूर्व अंशदान अविध में कम-से-कम 78 दिनों तथा बेरोजगारी से पूर्व के दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अविधयों में से एक में न्यूनतम 78 दिन होना चाहिए।
- 2. दावा बेरोजगारी की तिथि के पश्चातु 30 दिनों में देय होगा।
- 3. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा राहत का दा वा, शाखा कार्यालय को सीधे विधिवतपूर्ण निर्धारित दावा प्रपत्र में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान, विधिवतपूर्ण दावे की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार का उपयोग किया जाएगा।

4214 GI/2020 (1)

4. बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों के लिए, पिछली चार अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत अर्जन राशि की 50% तक छट प्रदत्त की जानी है।

उपर्युक्त छूट दी गई पात्रता शर्तें केवल दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए ही लागू होंगी। अन्य शर्तें, दिनांक 04.02.2019 को अधिसूचित मूल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में निर्दिष्ट अनुसार पूर्ववत ही रहेंगी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ उन बीमाकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी जो 23.03.2020 या उससे पहले एवं 01.01.2021 या उसके बाद बेरोजगार हुए हों।

अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि में अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई किसी आपित या सुझाव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा। आपित्तयां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, को बीमा आयुक्त(योजना एवं विकास), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 (ईमेल आइ डी : rahul.bhardwaj@esic.nic.in) को संबोधित किया जाए।

पी.बी. मणि, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./217/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

No N-12/13/01/2019-P&D.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notify the extension of the scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana which was notified in the Gazette of India Part III section 4 on 04.02.2019, for the period 01.07.2020 to 30.06.2021 with relaxation in following eligibility conditions for availing relief under the scheme during the period 24.03.2020 to 31.12.2020 as under: -

- 1. The Insured Person should have been in insurable employment for a minimum period of two years immediately before his/ her unemployment and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining three contribution periods in two years prior to unemployment.
- 2. Claim shall be due 30 days after date of unemployment.
- 3. The claim for relief may be submitted by an IP online in the prescribed claim form duly completed, directly to the Branch office. The payment shall be made in the bank account of the IP within 15 days from the receipt of the duly completed claim. Aadhaar shall be used for identification of the Insured Person.
- 4. Relief to the extent of 50 % of the average per day earning during the previous four contribution periods to be paid up to maximum 90 days of unemployment.

The above relaxed eligibility conditions will be applicable for the period 24.03.2020 to 31.12.2020 only. The other conditions as specified in the original Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana as notified on 04.02.2019 will remain the same. The Scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana will be available with original eligibility conditions for the IPs who became unemployed on or before 23.03.2020 and on or after 01.01.2021.

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of notification within a period od thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Insurance Commissioner (P&D), Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002 (e-mail Id: rahul.bhardwaj@esic.nic.in)

P.B. MANI, Insurance Commissioner [ADVT.-III/4/Exty./217/2020-21]